

8. **आरक्षण:**— नियुक्ति के संबंध में आरक्षण प्रावधानों का विस्तृत विवरण विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 12 पर उल्लेखित हैं।
9. **मानदेय:**— संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतिमाह नियत मानदेय रूपये 16,900/- देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगा। **Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022** के अन्तर्गत नियुक्त उपरोक्त सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) को 09 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने पर सहायक अध्यापक (लेवल-द्वितीय/प्रथम) ग्रेड-I पदनाम देते हुए प्रतिमाह नियत मानदेय रूपये 29,600/- देय होगा।
10. **सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय संविदा भर्ती, 2022 के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं:**—
- 10.1 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:—
- (A) **शैक्षिक अर्हता :-**
न्यूनतम 50% अंकों सहित उमावि/समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण।
- (B) **प्रशैक्षिक अर्हता :-** Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.) उत्तीर्ण।
- (C) **रीट अर्हता :-**
न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल-प्रथम) 2021/2022 उत्तीर्ण।
- 10.2 सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) हेतु शैक्षिक/प्रशैक्षिक/रीट अर्हताएं:—
- (A) **शैक्षिक अर्हता :-**
न्यूनतम 50% अंकों सहित गणित/अंग्रेजी (संबंधित पद हेतु) वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक।
- (B) **प्रशैक्षिक अर्हता :-** Bachelor of Education (B.Ed.)/Diploma in Elementary Education (D.el.ed.)
- (C) **रीट अर्हता :-**
न्यूनतम अंकों के साथ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (लेवल-द्वितीय) 2022 संबंधित विषय सहित उत्तीर्ण।
- 10.3 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं लेवल-द्वितीय के पदों हेतु प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (D.EL.ED.) अथवा शिक्षा में स्नातक (B.Ed.), सामान्य शिक्षा में (जो भी लागू हो) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/बी.एड. पाठ्यक्रम मान्य होगा।
- 10.4 सहायक अध्यापक, लेवल-प्रथम एवं सहायक अध्यापक, लेवल-द्वितीय (अंग्रेजी/गणित) के पदों पर राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित नहीं है अतः इन वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं एवं प्राप्तांक प्रतिशत होने अनिवार्य है। लेवल प्रथम के पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं के न्यूनतम निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के मापदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विशेष योग्यजन वर्ग एवं सामान्य वर्ग की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अर्हक अंकों में नियमानुसार 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।
- 10.5 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अन्तिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि) अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे अभ्यर्थी अपात्र होंगे।
11. **नियुक्ति हेतु निरर्हता :-**
- i. राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसा अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसके 01.06.2002 को या इसके पश्चात दो से अधिक संतानें हैं, परन्तु दो से अधिक संतानों वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की संख्या, जो 01.06.2002 को थी, में वृद्धि न हो, परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्व के प्रसव से एक संतान हो किन्तु किसी पश्चात्पूर्ती एकल प्रसव से एकाधिक संतानें जन्म ले लें तो संतानों की कुल संख्या गिनते समय इस प्रकार जन्मी संतानें एक समझी जायेगी। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
- ii. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियों हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे।